न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– महेन्द्र लोढा

अपील संख्या 56 / 2018 तारीख रजू 15.05.18

घनश्याम पुत्र सावंडया जाति जाट निवासी करीरा खुर्द तहसील खण्डार।

––अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार बहराण्डा कलॉ। ––रेस्पोडेन्ट

आदेश दिनांकः– 29.06.2018

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार बहराण्डा कलां द्वारा मिसल संख्या 917 / 18 में पारित निर्णय 14.03.18 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम करीरा खुर्द के खसरा नम्बर 445 / 297 रकबा 2.00 बीघा किस्म चरागाह पर सम्वत् 2074 में अनाधिकृत फसल काश्त कर अतिक्रमण करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित एवं फसल जप्त सरकार करने के साथ–साथ अपीलार्थी को पूर्ववर्ती अतिचारी मानते हुए सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिए सम्मन की गयी तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली तलब की गयी। प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

विद्वान् वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्व तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। यह भी तर्क दिया गया है कि अपना पक्ष का समुचित अवसर दिये बिना ही मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार बनाकर अपना आदेश स्वेच्छाचारी ढंग से पारिया गया है जो निरस्त योग्य है। अदालत मातहत द्वारा निर्णय जैर अपील पारित करने से पूर्व कोई मौका निरीक्षण नहीं किया तथा पटवारी की रिपोर्ट एवं उसके कथनो पर विश्वास किया जबकि आस पास के पडौसियों से अतिचार के संबंध में कोई साक्ष्य एकत्रित नहीं किये गये है जो अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है। वर्तमान मे भी अपीलान्ट का विवादित आराजी खसरा नम्बर 445 / 297 रकबा 2 बीघा किस्म चरागाह पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। अतः अपील

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.03.18 निरस्त किया जावें।

विद्वान वकील पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि आदेश जेरे अपील पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को विधिवत रूप से सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया है बावजूद सूचना अपीलान्ट अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, नोटिस की तामील अपीलान्ट द्वारा स्वंय द्वारा ली गई जो अदालत मातहत की पत्रावली में सलंग्न है। अतिचार होने नहीं होने बाबत अपना कोई साक्ष्य/सबूत भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा पारित किये गये निर्णय में कोई अनियमिता नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावें।

विद्वान वकील अपीलार्थी व पेराकार सरकार की बहस सुनने एवं अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी अतिक्रमी के विरूद्व अतिचार किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी अतिक्रमी को सुनवाई/सबू प्रस्तुत करने का नोटिस जारी किया गया है, नोटिस की पालना मे अपीलार्थी अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आया। अतः अपीलार्थी का यह कथन है कि सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया, मान्य नहीं है। जहॉ तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो इस संबंध में पूर्व में किये गये अतिचार के सम्बन्ध अदालत मातहत की पत्रावली मे पटवारी हल्का के बयान संलग्न है जिसे पूर्ववर्ती अतिचार सिद्व होता है। अतः मै अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश में कोई फेरबदल करना उचित नहीं समझता हूँ।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.03.18 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 29.6.18 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर